राष्ट्रीय बालभवन
कोटला रोड, नईदिल्ली

मान्यता के लिए नियम एवं शर्तें

मान्यता पाने वाले बाल भवन/बाल केन्द्र के लक्ष्य एवं उददेश्य राष्ट्रीय बाल भवन के अनुरूप हों और उन्हें राष्ट्रीय बाल भवन के दर्शन का पालन करना चाहिए।

मान्यता पाने के इच्छुक संस्था को निम्नवत होना चाहिए :–

क) संस्था राज्य सरकार के अन्तर्गत/पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत समिति/पंजीकृत न्यास होना चाहिए।

ख) इसकी समुचित नियमावली तथा संस्था ज्ञापन(मैमोरंडम ऑफ एसोसिएशन) व नियम और विनियम होने चाहिएं।

ग) इसका विधिवत प्रबन्ध निकाय होना चाहिए तथा लिखित संविधान के शक्तियों एवं कर्त्तव्यों का स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया हो।

घ) इसे किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के निकाय के लाभ के लिए संचालित नहीं किया जाना चाहिए। इसकी सेवायें जाति/धर्म/भाषा के भेदभाव के बगैर सभी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से सभी बच्चों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

3. राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्राधिकृत/प्रतिनियुक्त एक समिति अथवा राष्ट्रीय बाल भवन की मान्यता से पूर्व संस्था का दौरा करेंगे। समिति की सिफारिशों के आधार पर संस्थान के बाल भवन अथवा बाल केन्द्र के रूप में मान्यता पर विचार किया जाएगा।

4. बाल भवन में 500 से अधिक बच्चों का पंजीकरण होना चाहिए और इसमें 5 अथवा पाँच से अधिक गतिविधियाँ संचालित करने के लिए समुचित स्थान,भवन और कमरे/हॉल की सुविधाएं होनी चाहिएं।

5. यदि पंजीकृत बच्चों की संख्या तथा संरचनागत सुविधायें एवं गतिविधियां कम हैं अर्थात् बच्चों की संख्या 500 से कम तथा गतिविधियां 5 से कम हैं और केन्द्र के पास गतिविधियां चलाने के लिए समुचित स्थान/भवन में कम कमरे/हॉल हैं, किंतु वे गतिविधियों को संचालित करने में समर्थ हैं और बाल भवन के लक्ष्य एवं उददेश्यों को पूरा करते हैं, तो बाल भवन के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में बाल भवनों के लिए मान्यता हेतु निर्धारित शर्त्तें 50 प्रतिशत रहेंगी (बशर्ते वे बाद में बाल भवन के रूप में मान्यता के लिए आवेदन करने के तभी पात्र होंगे जब वे अपने पंजीकरण में वृद्धि तथा सुविधाओं में सुधार कर लें।)

6. राज्य/जिला बाल भवन के रूप में मान्यता के लिए संस्था को प्रति वित्तीय वर्ष 1000/–रु. का मान्यता शुल्क अवश्यमेव अदा करना होगा। बाल केन्द्र के लिए यह मान्यता शुल्क प्रति वित्तीय वर्ष 500/–रु. है। राष्ट्रीय बाल भवन के प्रबन्ध मंडल द्वारा समय–समय पर इस राशि को संशोधित किया जा सकता है।

7. मान्यता प्राप्त बाल भवनों को अपने वार्षिक प्रतिवेदन नियमित रूप से राष्ट्रीय बाल भवन के पास भेजने अपेक्षित हैं।

8. संस्थान को एक वचनपत्र/घोषणा' करनी चाहिए और इसे ऐसे वचनपत्र/घोषणा को हस्ताक्षरित करने के लिए विधिवत प्राधिकृत समुचित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर के प्रस्तुत करना होगा।इसे आवेदनपत्र के साथ पिछले तीन वर्षों की लेखा परीक्षित लेखा विवरणियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

9. मान्यता प्राप्त बाल भवन/बाल केन्द्र को विशेष आवश्यकता व विकलांग श्रेणी के बच्चों के लिए सभी बच्चों का सामाजिक दायित्व लाना होगा।

10. मान्यता प्राप्त बाल भवन/बाल केन्द्र पंजीकृत बच्चों से मामूली शुल्क वसूल करेगा। अ.जा./अ.ज.जा./बी.पी.एल. सहित विशेष प्रतिकूल ज़रूरत वाले बच्चों की श्रेणी के बच्चों से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा।

11. उन्हें निदेशक/कलैक्टर, राज्य सरकार के निदेशक/आयुक्त अथवा समकक्ष प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाणपत्र/सिफारिश उपलब्ध करानी चाहिए कि बालभवन/संस्थान संतोषजनक ढंग से कार्य करता है।

12. राष्ट्रीय बाल भवन मान्यता प्राप्त संस्थान को निम्नलिखित सुविधायें मुहैय्या कराएगा :–

क. बाल भवन की पद्धति एवं गतिविधियों के सभी पहलुओं पर सामान्य मार्गदर्शन। राष्ट्रीय बाल भवन मान्यता प्राप्त केन्द्रों से ऐसे प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं करेगा।

ख. उनके इलाकों में बाल भवन आन्दोलन की आयोजना, निष्पादन एवं प्रसार के लिए सामान्य मार्गदर्शन।

ग. राष्ट्रीय बाल भवन देशभर में बालभवन आन्दोलन के सम्बंध में विचार, अनुभव और जानकारी देने के लिए एक रिसोर्स केन्द्र के रूप में काम करेगा। इस प्रयोजनार्थ वह एक सूचना बुलेटिन प्रकाशित करेगा और समय–समय पर सेमिनारों/सम्मेलन का आयोजन करेगा।

घ. केवल मान्यता प्राप्त बाल भवन और बाल केन्द्र राष्ट्रीय बाल भवन के राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय बाल सभा, युवा पर्यावरणविज्ञानियों का सम्मेलन आदि में भाग लेने की सुविधा पाने के पात्र होंगे। राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा आयोजित अध्यक्ष एवं निदेशक सम्मेलन में मान्यता प्राप्त बाल भवनों को बाल केन्द्रों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नईदिल्ली

राज्य बाल भवन और बाल केन्द्रों की मान्यता रदद करने सम्बंधी मानदण्ड

किसी भी राज्य बाल भवन/बाल केन्द्र की मान्यता को रदद किया जा सकेगा, बशर्ते :–

1. किसी अवस्था में यदि यह पाया जाता है कि राष्ट्रीय बाल भवन की मान्यता, अनुदान अथवा कोई अन्य सुविधा प्राप्त करने के लिए संस्था द्वारा मिथ्या/नकली सूचना तथा दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं।

2. वर्ष अथवा अधिक अवधि से मान्यता शुल्क का भुगतान न करना।

3. राज्य बाल भवनों/आदिवासी/दूरस्थ बाल केन्द्र को मुहैय्या कराए गगए अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा लेखा परीक्षित खाता विवरणियां 3 वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रीय बाल भवन को प्रस्तुत न करना।

4. किसी राज्य बाल भवन तथा बाल केन्द्र का लगातार तीन वर्षों में किन्हीं राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों तथा अखिल भारतीय अध्यक्ष एवं निदेशक सम्मेलन में भाग न लेना।

5. यदि किसी मान्यता प्राप्त राज्य बाल भवन एवं बाल केन्द्र के सम्बंध में यह पाया जाता है कि वह किसी अवस्था में राज्य बाल भवन के लक्ष्य, उददेश्यों एवं पद्धति का पालन नहीं कर रहा है।

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली

राष्ट्रीय बाल भवन के अंतर्गत बाल भवन/बाल केन्द्र के रूप में मान्यता के लिए आवेदन पत्र

(राष्ट्रीय बाल भवन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों तथा मान्यता संबंधी नयमों एवं शर्तों को पढ़ने के बाद आवेदक द्वारा भरा जाए। इस प्रश्नावली को विधिवत भरने के उपरांत जिला प्रशासन/राज्य सरकार के अधिकारी की अनुशंसा के साथ हमें लौटायें। राज्य सरकार/सोसायटी/ट्रस्ट के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित फार्मेट में शपथ–प्रमाणपत्र हस्ताक्षरित होना चाहिए। बाल भवन/संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी की मोहर के साथ यह प्रश्नावली अवश्येव हस्ताक्षरित होनी चाहिए)

प्रश्न 1 : संगठन/संस्थान का नाम एवं अवस्थिति?

प्रश्न 2 : अध्यक्ष/निदेशक/मुख्य कार्यकारी का नाम?

प्रश्न 3 : क्या सरकार (राज्य अथवा केन्द्र) द्वारा अथवा प्राईवेट तौर पर संचालित है?

प्रश्न 4 : यदि प्राईवेट है, तो क्या यह पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट/एनजीओ है?

प्रश्न 5 : क्या आपकी अपनी भूमि तथा भवन है? यदि नहीं, तो संस्था कहाँ कार्यरत है?

प्रश्न 6 : इस संस्थान ने कब कार्य करना शुरू किया?
(वर्ष और तिथि बताएं)

प्रश्न 7 : प्रबन्ध–मंडल की संरचना क्या है?
(प्रबन्ध मंडल की नियमावली नत्थी करें)

प्रश्न 8 : बाल भवन/बाल केन्द्र को चलाने के लिए संस्थागत क्या–क्या सुविधायें उपलब्ध हैं?

प्रश्न 9 : संस्थान के उद्देश्य, लक्ष्य एवं गतिविधियां क्या हैं?

प्रश्न 10: क्या यह स्कूल के परे गतिविधि केन्द्र है अथवा बच्चों को केवल विशेष कार्यक्रमों के लिए एकत्रित किया जाता है?

प्रश्न 11: बच्चों से लिया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो, की राशि क्या है?

प्रश्न 12: संस्थान की पंजीकरण संख्या (गत तीन वर्षों के लिए)

पंजीकरण की कुल संख्या ....

लड़कों की संख्या ....

लड़कियों की संख्या ....

प्रश्न 13: इस केन्द्र की नियमित गतिविधियाँ क्या हैं?

प्रश्न 14: वंचित / विशेष / विकलांग बच्चों को केन्द्र में लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

प्रश्न 15: गत तीन वर्षों में क्या कोई अन्य विशेष गतिविधियां आयोजित की गई हैं?

प्रश्न 16: बच्चों की गतिविधिवार औसत दैनिक उपस्थिति बतायें (पृथक शीट लगायें)

प्रश्न 17: आपके संस्थान के मुख्य लाभार्थीगण कौन हैं – शहरी बच्चे / ग्रामीण बच्चे / आदिवासी बच्चे / स्कूल जाने वाले / स्कूल न जाने वाले बच्चे?

प्रश्न 18: इस संस्थान द्वारा कवर किए जा रहे इलाके / क्षेत्र?

प्रश्न 19: भविष्य में पहुँच के लिए बच्चों की लक्षित संख्या बताएं?

प्रश्न 20: क्या इस संस्थान ने बच्चों के लिए कोई नवीन परियोजनायें आयोजित की हैं? यदि हाँ, तो उसका वर्षवार ब्यौरा दें?

प्रश्न 21: क्या मान्यता मिलने के उपरांत संस्थान को राष्ट्रीय बाल भवन से किसी आवर्ती अथवा अनावर्ती वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी?

प्रश्न 22: स्टाफ संरचना

नियमित :

अंशकालिक / तदर्थ :

ग्रीष्मकालीन / अतिरिक्त स्टाफ :

तकनीकी / गैर–तकनीकी :

प्रश्न 23: संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं के बारे में स्थानी बच्चों / अभिभावकों की आम राय क्या है?

प्रश्न 24: केन्द्र को संचालित करने के लिए आवृत्ती व्यय हेतु वित्तपोषण का स्रोत क्या है?

प्रश्न 25: समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) अथवा राज्य समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत समिति / ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या क्या है? (पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

हस्ताक्षर

मोहर

अध्यक्ष / प्रेजीडेंट / सी.ई.ओ. / निदेशक का नाम
पता, दूरभाष सं., ई–मेल आई.डी.,
यदि कोई हो

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली

राज्य सरकार के प्राधिकारी/जिला कलैक्टर द्वारा
सरकारी लैटर हैड पर सिफारिश

(यदि संस्थान राज्य सरकार के विभाग द्वारा संचालित है तो राज्य सरकार के पदनामित अधिकारियों द्वारा यही संस्थान सोसायटी/ट्रस्ट/पजीकृत एनजीओ द्वारा संचालित है, तो जिला कलैक्टर द्वारा यह सिफारिश भरी जाए)

किसी केन्द्र को बाल भवन तथा बाल केन्द्र के रूप में मान्यता शर्तों को पढ़ने और आवेदक (संस्थान के अध्यक्ष/प्रेजीडेंट का नाम भरें) द्वारा दिए गए ब्यौरे का सत्यापन करने के उपरांत में .... संस्थान (संस्थान का नाम भरें) को बाल भवन/बाल केन्द्र के रूप में मान्यता देने की सिफारिश करता हूँ। मैं इस संस्थान से राष्ट्रीय बाल भवन की अनुमोदित योजना, यदि कोई हो, को राज्य सरकार/जिला प्रशासन के माध्यम से अनुदान जारी करने की भी अनुशंसा करता हूँ।

नाम :

पदनाम :

पता और दूरभाष संख्या :
मोहर :